सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 22/2012

बउनवान

श्री वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नवीन शर्मा उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण (विक्रेता), मै. श्री जी दूध डेयरी बाबजी नगर, सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास, बारां निवासी श्री जी चौक बारां
2. श्री महेश शर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण (मालिक) मै. श्री जी दूध डेयरी बाबजी नगर, सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास, बारां निवासी श्री जी चौक बारां
3. श्री जी दूध डेयरी बाबजी नगर, सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास, बारां द्वारा श्री महेश शर्मा

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री रितेश भारद्वाज एडवोकेट (अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय दिनांक 19.09.2017

प्रकरण श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.02.2012 को समय 11:00 ए.एम. पर मैसर्स श्री जी दूध डेयरी बाबजी नगर, सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी श्री जी चौक बारां उपस्थित थे। जिसे परिचय दिया ओर उससे पूछने पर उसके द्वारा स्वंय को दुकान का विक्रेता एवं श्री महेश शर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण मै. श्री जी दूध डेयरी बाबजी नगर, सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के पास बारां को मालिक होना बताया। विक्रेता ने दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) लगभग 95 लीटर स्टील की टंकियों में रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 लीटर मिश्रित दूध (खुला) वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 50/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए 2 लीटर मिश्रित दूध (खुला) को अलग अलग चार नमूना भाग में चार खाली साफ एवं सूखी चौडे मुह की शिशियों में डालकर बतौर प्रिजरवेटिव 20–20 बूंद फोरमेलीन डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को श्री राजेन्द्र सिंह

गौड़ स्वास्थ्य निरीक्षक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/सामान्य/2012/319 दिनांक 29.02.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एफएसएसएल/कोटा/2012/274 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, मिश्रित दूध (खुला) सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस मिश्रित दूध (खुला) का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है, तथा बिना रजिस्ट्रेशन के दूध विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार की आजीविका अर्जित करते हैं। अप्रार्थीगण दूधियों से दूध खरीदकर अपनी दुकान से बेचता है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता। जैसा खाद्य पदार्थ वह खरीदता है वैसा ही बेचता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें। जानकारी के अभाव में अप्रार्थीगण बिना रजिस्ट्रेशन दुकान का संचालन कर रहे थे अब अप्रार्थीगण की उक्त दुकान भी बन्द हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण के पास रोजगार का कोई साधन (व्यापार, नौकरी आदि) भी नहीं है। अतः अप्रार्थीगण की वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुये उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, मिश्रित दूध (खुला) जॉच मे स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। तथा बिना रजिस्ट्रेशन के दूध विक्रय किया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आते हैं। जिनका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं धारा 58 के तहत, अप्रार्थी को कुल 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)